पत्रांक-जी0एस0टी0/ 2024-25/ 860

/राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक- 15 जनवरी, 2025

समस्त अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-धारा 128 क के अधीन प्रस्तावित छूट हेतु आवेदन किये जाने विषयक।

कृपया धारा 128 क के अधीन प्रस्तावित छूट हेतु आवेदन किये जाने के लिए GSTN द्वारा जारी एडवाइजरी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से करदाताओं को धारा 128 क के अन्तर्गत दी गयी सुविधा प्राप्त करने हेतु फार्म SPL-01 एवं SPL-02 दाखिल किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं।

आपसे अनुरोध है कि धारा 128क के अन्तर्गत छूट पाने हेतु अर्ह एवं आवेदन करने के इच्छुक करदाताओं को उक्त एडवाइजरी से अवगत कराते हुए फार्म SPL-01 एवं SPL-02 दाखिल किये जाने की प्रक्रिया में आने वाली किसी समस्या का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(हरिलाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

प0प0सं0 व दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट के होम पेज पर फ्लैश कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।